

2018/00296

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

महोदय जी

निवेदन है कि नाम ई अकर की जमाबंदी संवत् 2072-77 के खाता संख्या 111 में प्रार्थी का नाम / की जाति चगर दर्ज है | जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम / की जाति तेल दर्ज है | अतः उक्त खाते में प्रार्थी का नाम / की जाति चगर के बजाय तेल दर्ज किया जाना उचित होगा |

उपखण्ड अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

रवि
रविश कुमार जाखड़
पटवारी
उपखण्ड अदालत
फुलिया कला (मीलवाड़ा)

मुतबिक रिपोर्ट पटवारी जांच IPR संशोधन स्वीकार योग्य है।

रवि
तहसीलदार फुलिया कला (मीलवाड़ा)

उपखण्ड 312/18

उपखण्ड अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

आदेश

रम्य - अकर दिनांक 5/06/18

हस्त रिपोर्ट तहसीलदार फुलिया कला के मुताबिक प्रार्थी का नाम ई अकर की जमाबंदी संवत् 2072-77 के खाते में दर्ज किया जा चुका है तथा तेल के नाम से प्रार्थी का नाम दर्ज नहीं है।

तहसीलदार फुलिया कला के आदेश



रवि
उपखण्ड अधिकारी
फुलिया कला (मीलवाड़ा) चक्र

उपखण्ड अधिकारी

फुलिया कला